न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

(प्र)करण संख्या :— 7 / 2018 (2018 / 00134) दर्ज दिनांक 02.01.2018
(प्रा).पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. नाथुलाल आत्मज श्रीराम लुहार निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

—प्रार्थी

वनाम

1. देवकीनंदन आत्मज मोहनलाल माली
2. लक्ष्मीलाल आत्मज मोहनलाल माली
3. गोपाल आत्मज मोहनलाल माली
4. मु0 सोहनी पत्नि मोहनलाल माली
5. मदनलाल आत्मज रामचन्द्र माली
6. तुलसीराम आत्मज जयराम तेली
7. धर्मेश कुमार आत्मज सुरेन्द्रकुमार लोढ़ा
8. वंशीलाल आत्मज हरजी माली
9. मांगीलाल आत्मज रामपाल लुहार
10. कैलाशचन्द्र आत्मज रामपाल लुहार
11. मु0 कमला पुत्री रामपाल लुहार
12. गोपी आत्मज शंकर लुहार
13. भेरू आत्मज शंकर लुहार
14. रामचन्द्र आत्मज कन्हैयालाल लुहार
15. रामेश्वर आत्मज कन्हैयालाल लुहार
16. मदनलाल आत्मज सोहनलाल लुहार
17. मु0 तारा पुत्री सोहनलाल लुहार
18. प्रकाश आत्मज भेरूलाल लुहार
19. माधवलाल आत्मज लालुराम लुहार
20. मुकेश कुमार आत्मज छोटुलाल माली

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

21. सावंरमल आत्मज जीवराज जाट निवासी शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी:— ... माली
अधिवक्ता विपक्षी सं0 6:— श्री एम0एस0 चुण्डावत
विपक्षी सं0 12, 13:— श्री एस0के0जैन
विपक्षी सं0 21:— श्री के0सी0 मेहता

...ण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

1.

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–05.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5321 रकबा 0.38 हे0, 5333 रकबा 0.16 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.54 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 477 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत्त सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 6, 12, 13, व 21 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 9 लगायत 13 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया कि प्रार्थी की आराजियात के चारों तरफ काफी वर्षो पुरानी थोहर की बाड़ लगी हुई है तथा हम विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता प्रार्थी की आराजियात में से होकर है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के माध्यम से हम विपक्षीगण के आवागमन के रास्ते को बाधित करना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में यह पाबंद किया जावे कि वह हम विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन का रास्ता जो प्रार्थी की आराजियात में से होकर विद्यमान है उसको किसी प्रकार से बाधित नहीं करें। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5, 7, 8 14 लगायत 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 6 व 21 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5321 रकबा 0.38 हे0, 5333 रकबा 0.16 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.54 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 477 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सन्बन्धित –अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। नकल तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.